43

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे
सदस्य

निगरानी प्र0 क0 820–तीन/2014 विरूध्द आदेश दिनांक 05–03–2014 पारित अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर प्रकरण कमांक 288/अ–6/2013–14 अपील.

महेन्द्र कुमार जैन पुत्र स्व. कन्छेदीलाल जैन
निवासी दरे काम्पलेक्स झाँसी रोड,
मकरोनिया, रजाखेड़ी, सागर

----- आवेदक

विरूध्द

सुन्दरलाल जैन (फोत) वारिसान–
1-- श्रीचन्द्र जैन पुत्र स्व. सुन्दरलाल जैन
नि0 ग्राम सिदगुवॉ बंडा, सागर
2-- ऋषभकुमार पुत्र स्व. सुन्दरलाल जैन
नि0 कटरा बाजार, सागर
3-- अशोक कुमार पुत्र स्व. सुन्दरलाल जैन
नि0 कटरा बाजार, सागर
मेहताब सिंह (फोत) वारिसान–
4-- श्रीमती जनकरानी बेवा स्व. मेहताबसिंह ठाकुर
5-- जगमानसिंह पुत्र स्व. मेहताबसिंह ठाकुर
6-- निजामसिंह पुत्र स्व. मेहताबसिंह ठाकुर
क0 4,5,6 नि0 ग्राम पड़ा रसोई, तह0 राहतगढ़,
जिला सागर
7-- म0प्र0शासन व्दारा कलेक्टर, सागर

--- अनावेदकगण

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक – आवेदकगण
श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक– अनावेदक क0 4 से 6
श्री एच0के0 अग्रवाल, पैनल अभिभाषक– अनावेदक क0–7

आदेश

निगरानी क0 820–तीन/2014

(आज दिनांक 28.7. 2014 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के अपील प्रकरण कमांक 288/अ–6/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 05–03–2014 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि आवेदक महेन्द्रकुमार को चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश व्दारा व्यवहार अपील क0 31/अ–92 निर्णय दिनांक 23–11–93 में ग्राम पड़ारसोई की प्रश्नाधीन भूमि खसरा नं0 511, 619, व 655 का भूमिस्वामी व आधिपत्यधारी मान्यकर घोषित करने से नामान्तरण हेतु आवेदनपत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया। तहसीलदार, तहसील राहतगढ़ ने अपने आदेश दिनांक 16–08–2010 व्दारा खसरा नं0 619, बन्दोवस्त अवधि के दौरान ख. नं. 429 रकबा 5.53 अर्थात 5.00 एकड़ को छोड़कर वादग्रस्त भूमि 511 एवं 655 (बन्दोवस्त दौरान खसरा नं. 363 रकबा 0.80, खसरा नं0 364 रकबा 1.01, खसरा नं0 482 रकबा 13.28 एकड़) पर आवेदक महेन्द्र कुमार के नामान्तरण के आदेश दिये। इस आदेश के विरूध्द आवेदक महेन्द्रकुमार व्दारा अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 23–06–11 में यह निष्कर्ष निकाला कि प्रतिअपीलार्थी के पिता सुन्दरलाल को खसरा नं0 429/1 रकबा 5 एकड़ का पट्टा दिया गया, किन्तु उक्त भूमि का अपीलार्थी/आवेदक को व्यवहार न्यायालय व्दारा भूमिस्वामी घोषित किया गया है। व्यवहार न्यायालय ने अन्य प्रकरण में प्रति–अपीलार्थी को कब्जाधारी घोषित किया है। अतः अनुविभागीय अधिकारी व्दारा खसरा नं0 429 रकबा 5.53 एकड़ का अपीलार्थी महेन्द्रकुमार को भूमिस्वामी दर्ज करने तथा कब्जेधारी के रूप में

प्रति–अपीलार्थी सुन्दरलाल के पुत्रगण का नाम राजस्व अभिलेख में अंकित करने के आदेश दिये।

3/ आवेदक महेन्द्रकुमार ने तहसील न्यायालय में इस आशय का आवेदनपत्र प्रस्तुत किया कि अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को अपील में अपर आयुक्त व्दारा तथा निगरानी में राजस्व मण्डल व्दारा स्थिर रखकर आवेदक के पक्ष में आदेश पारित किये हैं, इसलिये प्रश्नाधीन भूमियों पर राजस्व अभिलेख में आवेदक का नाम भूमिस्वामी अधिकार में प्रविष्टी की जाय। तहसीलदार ने आदेश दिनांक 12–06–12 व्दारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 23–06–11 के अनुसार रिकार्ड संशोधित करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूध्द अनावेदक सुन्दरलाल जैन के वारिसान अनावेदक क0–1 से 3 ने अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 25–02–14 व्दारा अपील इस आधार पर स्वीकार की कि तहसीलदार व्दारा आदेश पारित करने के पूर्व सभी हितधारी पक्षकारों को सुनवायी का अवसर नहीं दिया। अतः अनुविभागीय अधिकारी व्दारा अपील स्वीकार कर तहसीलदार का आदेश निरस्त किया गया। महेन्द्र कुमार ने व्दितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की जिसे अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 05–03–14 व्दारा खारिज किया है। अतः आवेदक व्दारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी है।

4/ मैंने आवेदक तथा अनावेदक क0 4 से 6 एवं अनावेदक क0–7 शासन के विव्दान अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया। अनावेदक क0–1 से 3 की ओर से सूचना उपरान्त कोई उपस्थित नहीं हुआ, इसलिये उनके विरूध्द एकपक्षीय कार्यवाही की गयी।

5/ आवेदक के विव्दान अभिभाषक का तर्क है कि आवेदक के पक्ष में जिला न्यायाधीश, सागर के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश व्दारा पारित निर्णय व

डिक्री दिनांक 23–11–1993 के अनुसार आवेदक प्रश्नाधीन भूमि का भूमिस्वामी है। शासन व्दारा प्रस्तुत व्दितीय अपील मान. उच्च न्यायालय ने समयावधि बाह्य होने से खारिज की गयी है। व्यवहार न्यायालय का स्वत्व के संबंध में पारित आदेश राजस्व न्यायालय पर बन्धनकारी है। ऐसी दशा में व्यवहार न्यायालयों के निर्णयों के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 23–06–11 व्दारा प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक के नामान्तरण के आदेश दिये गये। इस आदेश को अपील एवं निगरानी में अपर आयुक्त एव राजस्व मण्डल व्दारा यथावत रखा गया। तहसीलदार ने अनावेदक क0 1 से 3 को विधिवत सूचनापत्र तामील करने के पश्चात अनुविभागीय अधिकारी के आदेश का अमल राजस्व अभिलेख में करने के आदेश दिये हैं। अनावेदक क0 4 से 6 को प्रश्नाधीन भूमि पर कोई स्वत्व प्राप्त नहीं है और ना ही उन्होंने व्यवहार न्यायालय व्दारा अपील में पारित आदेश के विरूध्द सक्षम न्यायालय में कार्यवाही की गयी। ऐसी दशा में अनुविभागीय अधिकारी व्दारा पारित आदेश दिनांक 26–06–11 का अमल करने के आदेश देने में तहसीलदार व्दारा कोई त्रुटि नहीं की गयी। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया।

6/ अनावेदक क0 4 से 6 के विव्दान अभिभाषक का तर्क है कि तहसीलदार व्दारा आदेश पारित करने के पूर्व अनावेदकगण हितबध्द पक्षकार होते हुए भी कोई सूचनापत्र जारी नहीं किया और ना ही उन्हें सुनवायी का अवसर प्रदान किया। उनका यह भी तर्क है कि प्रश्नाधीन भूमि राजस्व अभिलेख में छोटा–घास और चरोखर के रूप में दर्ज चली आ रही है। राजस्व मण्डल में पुनर्विलोकन आवेदन लम्बित है। तहसीलदार व्दारा प्रकिया का पालन किये बिना आदेश पारित किया गया है। अतः उन्होंने निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया।

7/ अनावेदक क0–7 शासन के पैनल अभिभाषक का तर्क है कि प्रश्नाधीन भूमि राजस्व अभिलेख में शासकीय होकर छोटा–घास एवं चरोखर दर्ज है तथा तहसीलदार के समक्ष ना तो शासन को पक्षकार बनाया गया और ना ही उन्हें सुनवायी का अवसर दिया गया। अतः उन्होंने निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया।

8/ चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश, सागर के व्यवहार अपील क0 31अ/92 निर्णय दिनांक 23–11–93 से स्पष्ट है कि आवेदक महेन्द्रकुमार पुत्र स्व. कन्छेदीलाल जैन को ग्राम पड़ारसोई की भूमि सर्वे नं0 511 क्षेत्रफल 1.81 एकड़, सर्वे क0 619 क्षेत्रफल 5.53 एकड़ एवं सर्वे क0 655 रकबा 16.28 एकड़ का भूमिस्वामी एवं आधिपत्यधारी घोषित किया गया है। इस आदेश के विरूध्द शासन व्दारा प्रस्तुत व्दितीय अपील क0 303/1995 मान. उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 24–12–2004 व्दारा अवधि बाह्य होने से निरस्त की गयी है। अनुविभागीय अधिकारी के अभिलेख में उपलब्ध मान. उच्च न्यायालय के एम.सी.सी. क0 271/2012 में पारित आदेश दिनांक 12–09–2012 की प्रमाणित प्रतिलिपि से स्पष्ट है कि मान. उच्च न्यायालय व्दारा श्रीचन्द जैन की उक्त एम सी सी खारिज की गयी है। शासन व्दारा मान. उच्च न्यायालय में प्रस्तुत एम.सी.सी. क0 1042/12 आदेश दिनांक 08–10–12 व्दारा खारिज की गयी है। ऐसी दशा में प्रश्नाधीन भूमि के स्वत्व के संबंध में चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश, सागर के व्यवहार अपील क0 31अ/92 निर्णय दिनांक 23–11–93 अंतिम हो जाने से इसके आधार पर प्रश्नाधीन भूमि का भूमिस्वामी आवेदक को मान्यकर अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 23–06–2011 व्दारा नामान्तरण के आदेश देने मे कोई त्रुटि नहीं की गयी। अनुविभागीय अधिकारी ने व्यवहार न्यायालय व्दारा अन्य प्रकरण में खसरा न0 429/1 रकबा 5 एकड़ का अनावेदक को कब्जाधारी घोषित करने से राजस्व अभिलेख में इस भूमि पर कब्जेधारी का इन्द्राज करने के

आदेश दिये गये हैं जिससे स्पष्ट है कि व्यवहार न्यायालयों के आदेशों का पूर्ण रूप से पालन अनुविभागीय अधिकारी व्दारा किया गया है। इस आदेश के विरूध्द प्रस्तुत की गयी अपील अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 29–7–11 व्दारा खारिज की गयी है तथा राजस्व मण्डल ने निगरानी अपने आदेश दिनांक 01–05–12 व्दारा निरस्त की है। ऐसी दशा में अनुविभागीय अधिकारी के अपील में पारित आदेश दिनांक 23–06–11 का पालन करने हेतु आवेदक व्दारा तहसीलदार के समक्ष आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया था। तहसीलदार की आदेश पत्रिका से स्पष्ट है कि दिनांक 04–06–12 को अनावेदक श्रीचन्द्र जैन व्दारा नोटिस लेने से इन्कार करने तथा शेष नोटिस अदम तामीली वापस प्राप्त होने से पुनः सूचनापत्र जारी करने के आदेश दिये और न लेने अथवा न मिलने पर चस्पा व्दारा तामीली के आदेश दिये। सूचनापत्र की तामीली चस्पा व्दारा होने पर तहसील न्यायालय में कोई उपस्थित नहीं होने से अनावेदक क0–1 से 3 के विरूध्द एकपक्षीय कार्यवाही की गयी है। इससे स्पष्ट है कि तहसीलदार ने आदेश पारित करने के पूर्व अनावेदक क0–1 से 3 को सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान किया किन्तु अनावेदक ने अनुपस्थित रहकर उसका लाभ नहीं लिया। जैसा कि पूर्व में विवेचना की जा चुकी है कि अनावेदक क0–3 से 6 ने सिविल अपील में पारित आदेश के विरूध्द सक्षम न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की और ना ही अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 23–06–2011 के विरूध्द सक्षम न्यायालय में कार्यवाही की गयी, इस कारण अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 23–06–2011 का अमल राजस्व अभिलेख में करने के आदेश देने के पूर्व उन्हें सूचनापत्र तामील कर सुनवायी का अवसर प्रदत्त करने का कोई औचित्य नहीं था, किन्तु अपीलीय न्यायालयों व्दारा आदेश पारित करने समय इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया।

9/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाता हैं। अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 05–03–14 तथा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 25–02–14 निरस्त किये जाते हैं। तहसीलदार का आदेश दिनांक 12–06–12 यथावत रखा जाता है।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0